न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 11/2023
दायर दिनांकः 01.09.2023
निर्णय दिनांक 19.05.2025

—: अनवान :—

चतरसिंह पिता धुलसिंह जी जाति खरवड आयु 75 वर्ष निवासी मोरचा तहसील कुंभलगढ जिला—राजसमंद (राज) **— अपीलान्ट**

:: बनाम ::

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कुंभलगढ़ **— रेस्पोडेन्ट**

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, कुंभलगढ प्रकरण संख्या 267 सन 2019 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 11—10—2019

उपस्थितः—

1— श्री महिपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, कुंभलगढ प्रकरण संख्या 267/2019 निर्णय दिनांक 11.10.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध बाला बाला निर्णय देने में कानूनी व वाकियाती भूल फरमाई है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जबाब एवं साक्ष्य पेश करने का कोई मौका नहीं देकर एक तरफा निर्णय देने से कानूनी भूल फरमाई है अपीलान्ट का ग्राम मोरचा के बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1253 रकबा 0—02—00 पर कब्जा पिछले 25—30 सालो से चला आ रहा है अपीलान्ट ने उक्त भूमि को उपजाऊ व आबादान करने में काफी श्रम व रुपीया खर्च किया है, उक्त भूमि जो उबड़ खाबड़ व पत्थरीली थी, उसको समतल किया है। उक्त भूमि के चारों ओर अपीलान्ट ने कांटो व थोहर व पत्थरों की बाड़ कर रखी है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुने बिना व अपीलान्ट की साक्ष्य सफाई लिये बिना मन मकसूद तरीके से निर्णय दिया है। अपीलान्ट को मौके पर भौतिक रूप है बेदखल नहीं किया गया है। मन मकसूद तरीके से बेदखली रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलांट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्ट तहसील कुंभलगढ़ में दिनांक 4—4—2023 को गया तो उसे पता चला कि उक्त प्रकरण में उसके खिलाफ निर्णय हो गया है, इसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 4—4—2023 को निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया जो अपीलांट की दिनांक 10—4—2023 को नकल निर्णय की प्रति दी गई। नकल निर्णय मिलते ही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलान्ट अपने वकील साहब से विचार विमर्श कर अपील पेश कर रहा है, जो तारीख जानकारी से अंदर मियाद है। विलम्ब माफ करने हेतु अलग से धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–10–2019 अपास्त किया जावे व ग्राम मोरचा तहसील कुंभलगढ़ की आराजी नंबर 1253 रकबा 0–02 बिलानाम मगरी अपीलांट के नाम रेग्युलराईज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध बाला बाला निर्णय देने में कानूनी व वाकियाती मूल फरमाई है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जबाब एवं साक्ष्य पेश करने का कोई मौका नहीं देकर एक तरफा निर्णय देने से कानूनी भूल फरमाई है अपीलान्ट का ग्राम मोरचा के बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1253 रकबा 0–02–00 पर कब्जा पिछले 25–30 सालो से चला आ रहा है अपीलान्ट ने उक्त भूमि को उपजाऊ व आबादान करने में काफी श्रम व रुपीया खर्च किया है, उक्त भूमि जो उबड़ खाबड़ व पत्थरीली थी, उसको समतल किया है। उक्त भूमि के चारों ओर अपीलान्ट ने कांटो व थोहर व पत्थरों की बाड़ कर रखी है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुने बिना व अपीलान्ट की साक्ष्य सफाई लिये बिना मन मकसूद तरीके से निर्णय दिया है। अपीलान्ट को मौके पर भौतिक रूप है बेदखल नहीं किया गया है। मन मकसूद तरीके से बेदखली रिपोर्ट तैयार की गई है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–10–2019 अपास्त किया जावे व ग्राम मोरचा तहसील कुंभलगढ़ की आराजी नंबर 1253 रकबा 0–02 बिलानाम मगरी अपीलांट के नाम रेग्युलराईज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का मोरचा ने अपीलार्थी चतरसिंह पिता धुलसिंह खरवड़ के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम मोरचा की बिलानाम मगरी भूमि आराजी संख्या 1253 रकबा 31–16–15 बीघा किस्म मगरी में से 0.02 बिश्वा भूमि पर चतरसिंह पिता धुलसिंह खरवड ने कांटे की बाड़ लगाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का मोरचा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी चतरसिंह पिता धुलसिंह खरवड को दिनांक 11.10.2019 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी को जारी नोटिस बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। नियत पेशी दिनांक के दिन अतिक्रमी चतरसिंह पिता धुलसिंह खरवड़ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चतरसिंह पिता धुलसिंह खरवड के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील होने के उपरान्त समुचित सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण निर्णित किया गया।

जहां तक वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे होने संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ के द्वारा दिनांक 11.10.2019 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार कुंभलगढ़ को लौटायी जावे।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद